न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 83/2024 दायर दिनांकः 26.06.2024

उनवान

1. ओमप्रकाश पि. धन्नालाल जाति ब्राहमण नि. झालरापाटन

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री नीलकमल त्रिवेदी
अप्राथी :— पेरोकार सरकार

आदेश दिनाक : 06.12.2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की जमाबन्दी सं. 2073—76 के खाता संख्या 1168 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3087/3079 रकबा 0.0517 हे., खाता सं. 57 का ख.नं. 3088/3079 रकबा 0.0226 हे. तथा खाता सं. 1169 के ख.नं. 871/1 रकबा 0.0126 हे व ख.नं. 877/1 रकबा 0.0253 हे. आराजी है जिसमें पेट्रोल पम्प लगा हुआ है। ख.नं. 877/1 के पश्चिम में ख.नं. 3088/3079, ख.नं. 3087/3079 है जिसका सेग्रिकेशन में राजस्व नक्शा तरमीम किया गया वह पूर्व से पश्चिम कर दिया गया जबकि संपरविर्तन के समय पुराना ख.नं. 672 ख.नं. 871 व 877 के बराबर उत्तर से दक्षिण नक्शा इन्द्राज था जो सही था। इसलिये नया ख.नं. 3088/3079 व ख.नं. 3087/[illegible] उत्तर से दक्षिण तरमीम होना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि ख.नं. 30[illegible]/3079 व 877/1 में भारत पेट्रोलियम कम्पनी का पेट्रोल पम्प लगा हुआ है। इसी प्रकार ख.नं. 871 के दक्षिण में ख.नं. 877/1 के उत्तर में ख.नं. 871/1 है जिसे भी सेग्रिकेशन में राजस्व कार्मिको द्वारा अन्य स्थान पर तरमीम कर दिया गया है जो भी ख.नं. 871 के दक्षिण व ख.नं. 877/1 के उत्तर दिशा दोनो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

मध्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बरान में मौके पर पेट्रोल पम्प लगा हुआ है तथा आम रास्ते की ओर रायपुर से झालरापाटन से आम रास्ते की ओर ख.नं. 3088/3079 व ख.नं. 3087/3079 के दक्षिण में ख.नं. 3063/876 रकबा 0.0183 हे. भूमि है जो कि कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः निवेदन है कि रायपुर तहसील रायपुर की भूमि ख.न. 3087/3079 रकबा 0.0517 हे. व ख.नं. 3088/3079 रकबा 0.0226 हे. का राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण तथा ख.नं. 871/1 रकबा 0.0126 हे व ख.नं. 877/1 रकबा 0.0253 है. के उत्तर की ओर नजरी नक्शानुसार तरमीम किये जाने का आदेश अप्रार्थी को दिये जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैराकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा स्वयं की खातेदारी की आराजी ख.नं. 3087/3079 रकबा 0.0517 हे. व ख.नं. 3088/3079 रकबा 0.0226 हे. तथा ख.नं. 871/1 रकबा 0.0126 हे व ख.नं. 877/1 रकबा 0.0253 है. आराजी की तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नं. पर वर्तमान में पेट्रोल पम्प संचालित है जबकि मुताबिक आनलाईन नक्शा रिकार्ड में तरमीम वक्त सेग्रिकेशन गलत दर्ज हो गई है जिसको संलग्न नक्शानुसार शुद्धि किया जाना उचित होगा। साथ में पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न किये गये।

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम रायपुर के खाता सं. 56, 57, 445, 1168, 1169 जमाबन्दी संवत 2073-76 की नकले, ग्राम रायपुर के ख.नं. 871/1, 877/1, 3087/3079 का खसरा नक्शा दिनांक 24.10.2024, श्रीमान जिला कलेक्टर [illegible] संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.05.2003 एवं संलग्न [illegible] 2003 की फाटोप्रति एवं दस्तोवज भूमि का बीपीसीएल [illegible] फाटोप्रति, ग्राम रायपुर के नामान्तरण सं0 1954 दिनांक 29.09.2007, नामान्तरण सं0 2111 व 2112 दिनांक 14.07.2009, नामान्तरण सं0 3517 दिनांक 13.10.2020, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.2020 आदि प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

4. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा अपने खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 871 में से 01 बिस्वा, ख.नं. 877 में से 02 बिस्वा एवं ख.नं. 872 रकबा 13 बिस्वा में से करीब 4 बिस्वा भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 16 बिस्वा में से संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 08.04.2003 में किये गये अंकन अनुसार करीब 7 बिस्वा यानि 896 वर्ग मीटर भूमि पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ श्रीमान जिला कलक्टर झालावाड के संपरिवर्तन आदेश कमांक 2147–53/सम/2003 दिनांक 07.05.2003 संपरिवर्तित करायी गयी थी। संपरिवर्तित भूमि के नये ख.नं. 871/1, 877/1 व 872/1 बनाकर रिकार्ड में दर्ज किये गये। संपरिवर्तित आदेश के साथ संलग्न व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रमाणित नजरी नक्शे दिनांक 05.04.2003 के अनुसार संपरिवर्तित भूमि झालावाड रायपुर मुख्य सडक से लगवा थी और इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जानी चाहिए थी लेकिन सेग्रिकेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के गलत तरमीम दर्ज कर दी। प्रार्थी की भूमि पर वर्ष 2004 से नजरी नक्शे दिनांक 05.04.2003 के अनुसार पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है। **अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया** कि ख.नं. 871/1 रकबा 0.0126 हे व ख.नं. 872 रकबा 0.0517 है. भूमि की सेग्रिकेशन के दौरान गलत तरमीम कर दी गई जबकि संपरविर्तन आदेश नक्शे के अनुसार ख.नं. 871/1 की तरमीम ख.नं. 877/1 व ख.नं. 872 के लगवा उत्तर में की जानी चाहिए थी लेकिन राजस्व कार्मिको द्वारा लापरवाही पूर्वक तरमीम करते हुए ख.नं. 871/1 को ख.नं. 877/1 व ख.नं. 872 से दूर उत्तर पूर्व दिशा में तरमीम की गई जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार संपरविर्तन आदेश के साथ संल[illegible] ख.नं. 872 में भी तरमीम नहीं की गई है। मूल ख[illegible] हेतु संपरिवर्तित भूमि जिसका हाल ख.नं. 3087/[illegible] उत्तर से दक्षिण की ओर की जानी चाहिए थी लंकिन राजस्व कार्मिको द्वारा लापरवाही करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर कर दी है जिसे दुरूस्त किया जावे। राजस्व नक्शे में सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा की गई तरमीम अशुद्धि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का है। अतः प्रार्थी का तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. पैरोकार सरकार अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात ख.नं. 871/1, 877/1 एवं 3087/3079 कुल रकबा 896 वर्ग मीटर में वर्तमान में पेट्रोल पम्प संचालित हो रहा है। खनं. 871/1 की तरमीम मुताबिक आनलाईन नक्शा रिकार्ड में तरमीम वक्त सेग्रिकेशन गलत दर्ज हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा। पेरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि मूल ख.नं. 872 में से पेटोल पम्प हेतु की गई संपरिवर्तित भूमि का पहले रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये बिना ही प्रार्थी खातेदार ओमप्रकश द्वारा मूल ख.नं. 872 रकबा 0–13 बीघा में से वर्ष 2007 में मुगीबाई पत्नि बजरंगलाल नाथ को 4250 वर्ग मीटर भूमि, वर्ष 2009 में शिवनारायण पि. बालचन्द सुथार को 2 बिस्वा भूमि, संतोषबाई सुनार को 2 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया था। उक्त विभिन्न बेचानो की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने केबाद प्रार्थी ओमप्रकाश की शेष बची भूमि का नया ख.नं. 3079/872 रकबा 0.0743 है. बचा था जिसमें से जरिये नामा.सं. 4285 दिनांक 18.05.2024 जिला कलक्टर के आदेश से वर्ष 2003 में पेटोल पम्प हेतु संपरिवर्तित हेतु करीब 4 बिस्वा यानि 517 वर्ग मीटर भूमि का नामान्तरण दर्ज किया गया जिसके बाद संपरिवर्तित भूमि का हाल ख.नं. 3087/3079 रकबा 0.0517 है. और शेष बची कृषि भूमि का हाल ख.नं. 3088/3079 रकबा 0.0226 है. बनाया गया है। उक्त नामान्तरण की तरमीम उत्तर से दक्षिण करने के बजाय पूर्व से पश्चिम कर दी गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा। पेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा संलग्न कर नक्शानुसार शुद्धि किया जाना उचित होगा।

6. अभिभाषक प्रार्थी व पैरोकार सरकार की ब[illegible]काश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी [illegible] श्रीमान जि[illegible] कलक्टर महोदय झालावाड के संपरिवर्तन आदेश क्र[illegible]/03 दिनांक 07.05.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार ओमप्रकाश पि. धन्नालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

4

नि. झालरापाटन द्वारा अपने खाते की ग्राम रायपुर की आराजी खसरा नम्बर 871/0–01, 872/0–13, 877/0–02 कुल 16 बिस्वा भूमि में से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) हेतु कुल 896 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तित करवायी गई थी। संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.05.2003 के साथ संलग्न व जिला कल्क्टर झालावाड द्वारा प्रमाणित प्रस्तावित भूमि के खसरा नक्शा दिनांक 05.04.2003 से अवलोकन से जाहिर होता है कि मूल ख.नं. 871 कुल रकबा उपलब्ध नहीं– में से ख.नं. 877 व मूल ख.नं. 872 से लगवा 0–01 बीघा भूमि, ख.नं. 877 कुल रकबा उपलब्ध नहीं – में से मूल ख.नं. 871 व 872 के लगवा पश्चिम दिशा की 0–02 बीघा भूमि एवं मूल ख.नं. 872 कुल रकबा 0–13 बीघा में से झालावाड–रायपुर हाइवे के लगवा से लेकर मूल ख.नं. 871 व 877 तक का दक्षिण का कुछ हिस्सा पेटोल पम्प हेतु संपरिवर्तित कराया गया था। ग्राम रायपुर की पेश की गई जमाबंदी सं. 2061–65 के अनुसार मूल ख.नं. 872 का रकबा 0–13 बीघा था। संपरिवर्तन आदेश के अनुसार तीनो ख.नं. की कुल 896 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तित हो गई थी जिसमें ख.नं. 871 की 0–01 बीघा यानि 126 वर्ग मीटर, ख.नं. 877 की 0–02 बीघा यानि 253 वर्ग मीटर भूमि शामिल थी। अतः मूल ख.नं. 872 रकबा 0–13 बीघा में से 517 वर्ग मीटर (896–126–253 =517) यानि करीब 0–04 बीघा भूमि संपरिवर्तित की गई थी।

7. संपरिवर्तित आदेश के साथ संलग्न प्रमाणित नजरी नक्शे दिनांक 05.04.2003 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल ख.नं. 872 रकबा 0–13 बीघा में से रायपुर–झालावाड सार्वजनिक विभाग की सडक के लगवा से लेकर मूल ख.नं. 871 व 872 से लगवा तक का दक्षिण भाग पेटोल पम्प हेतु संपरिवर्तित करवाया गया था। मूल ख.नं. 872 रकबा 0–13 बीघा में से 0–09 बीघा कृषि भूमि उत्तर दिशा में शेष [illegible] मूल ख.नं. 871, 872 व 877 की संपरिवर्तित भूमि का आकार [illegible] जैसा है जिसकी पूर्व दिशा की भुजा झालावाड सार्वजनिक [illegible] सडक से लगी हुई, **दक्षिण की भुजा मूल ख.नं.** 876 से लगी हुई [illegible] पश्चिम की भुजा ख.नं. 871 व 877 में अंदर तक एवं उत्तरी भुजा 872 में से शेष बची 0–09 बीघा कृषि भूमि से लगी हुई थी। संपरिवर्तिन आदेश दिनांक 07.05.2003 की शर्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

सं. 5 के अनुसार प्रार्थी राजमार्ग से 80 मीटर छोडकर संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य करना था। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रमाणित खसरा नजरी नक्शा दिनांक 05.04.2003 के अनुसार संपरिवर्तित भूमि का **वास्तविक नक्शा** निम्नानुसार होना चाहिए – **मेप संख्या 01**

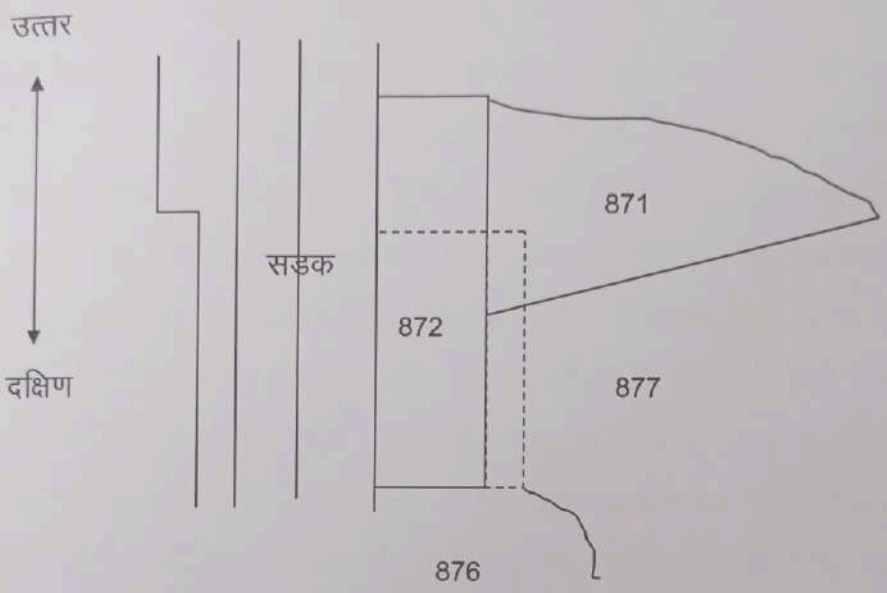

वर्तमान ऑनलाईन नक्शे के अनुसार संपरिवर्तित भूमि का खसरा नक्शा निम्नानुसार हैः– **मेप संख्या 02**

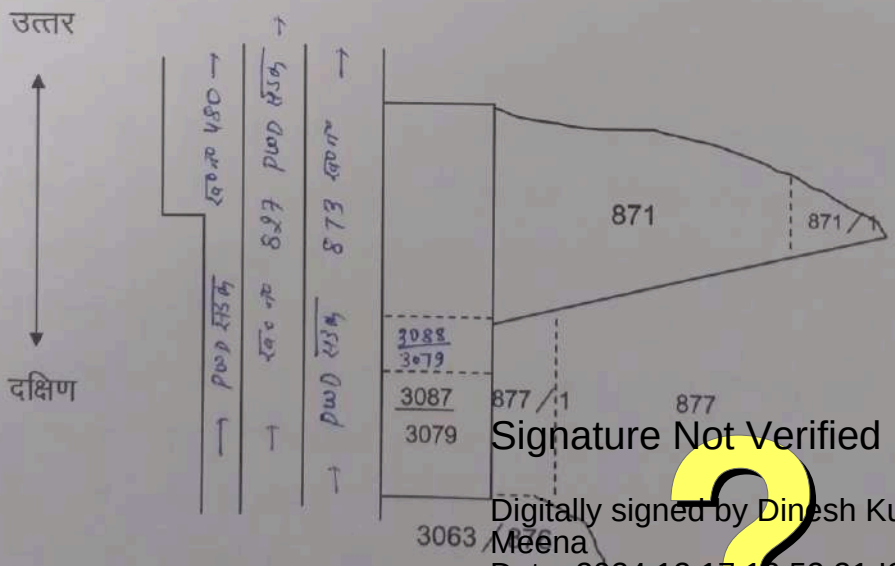

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

8. अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि संपरिवर्तन आदेश व संलग्न नजरी नक्शा 05.04.2003 के अनुसार मूल ख.नं. 872 में से बेचान के बाद शेष बची प्रार्थी की भूमि ख.नं. 3079/872 रकबा 0.0743 है. में संपरिवर्तित भूमि की तरमीम उतर से दक्षिण की ओर ख.नं. 871 व 877 की सीमाओं के समानान्तर होनी चाहिए थी लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का यह कथन/तर्क सही नहीं है। जब सम्परिवर्तित आदेश के साथ संलग्न प्रमाणित नजरी नक्शा दिनांक 05.04.2003 के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मूल ख.नं. 872 में से दक्षिण दिशा की 0–04 बीघा यानि 517 वर्ग मीटर भूमि मुख्य सडक से लेकर मूल खनं. 871 व 877 के अंदर तक आयताकार जैसे आकार में संपरिवर्तित हुई है। **संपरिवर्तित भूमि के दक्षिण में लगवा मूल ख.नं. 876 था।** अतः मूल ख.नं. 872 में तरमीम पूर्व से पश्चिम में दिशा में होनी चाहिए थी, न कि उत्तर से दक्षिण दिशा में। मूल ख.नं. 872, 871 व 877 मे सम्परिवर्तित भूमि कुल रकबा 896 वर्ग मी० एक आयताकार जैसे आकार में है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि हाल ख.नं. 871/1 रकबा 0.0126 है., ख.नं. 877/1 रकबा 0.0253 है. एवं ख.नं. 3087/3079 रकबा 0.0517 है. किस्म वाणिज्य (पैटोस पम्प) प्रयोजनार्थ प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र घन्नालाल बाहमण के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी को जमाबदी संवत 2069–72 अनुसार शिवनाराण सुनार एवं संतोष बाई सुनार को 02– 02 बिस्वा भूमि का (वर्ष 2009 में) बेचान करने के एवं पृथक–पृथक तरमीम होने के बाद शिवनारायण की कय शुदा भूमि का नया खं नं. 2748/872 एवं संतोषबाई की कय शुदा भूमि का नया ख.नं. 2749/872 बनाया गया जबकि शेष भूमि का 872 रकबा 0–09 बीघा रखा गया जो ओमप्रकाश शर्मा हिस्सा 7999/12249 एवं मांगीबाई नाथ हिस्सा 4250/1224[illegible] रखी। वर्ष 2020 में मांगीबाई नाथ ने अपना [illegible] को बेचान कर दिया तो मांगीबाई की [illegible] दर्ज हुई। बर्ष 2024 में खाता सं. 57 के ख.नं. 872 र[illegible] 0–09 बीघा का सहखातेदार ओमप्रकाश व मोनिका सोनी ने खाता विभाजन कराया जो खाता विभाजन के बाद नया ख.नं. 3079/872 रकबा 0.0743 है. हुआ। खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन के बाद मोनिका सोनी का हिस्सा ख.नं. 3080/872 उत्तर दिशा मे जबकि ओप्रकाश का हिस्सा ख.नं. 3079/872 दक्षिण दिशा में तरमीम किया गया जो सही है। उक्त तरमीम में कोई त्रुटी नहीं है। पत्रावली में उपलब्धस नामा.सं. 4285 दिनांक 18.05.2024 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ओमप्रकाश ने अंत में अपनी शेष बची भूमि ख.न. 3079/872 रकबा 0.0743 है. में 21 वर्षो बाद श्रीमान जिला कलक्टर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.05.2003 का नामान्तरण दर्ज करवाया है। नामा.सं. 4285 की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के बाद पूर्व से पश्चिम की ओर तरमीम की जाकर पेट्रोल पम्प हेतु संपरिवर्तित भूमि का ख.नं. 3087/3079 रकबा 0.0517 है. दक्षिण दिशा में और शेष बची कृषि भूमि खनं. 3088/3079 रकबा 0.0226 है. उत्तर दिशा में दर्ज किया गया। वर्तमान नक्शे में भी संपरविर्तित खसरा 3087/3079 के दक्षिण में मूल ख.नं. 876 से बना नया खसरा नं. 3063/876 है। यदि प्रार्थी के कथन अनुसार उसके ख.नं. 3079/872 रकबा 0.0743 है. में संपरिवर्तित आदेश की पालना में खोले गये नामा.सं. 4285 में पूर्व से पश्चिम की बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर तरमीम की जाती है तो प्रार्थी की पेट्रोल पम्प हेतु संपरिवर्तित भूमि ख.नं. 3087/3079 और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सडक ख.नं. 873 के मध्य नया ख.नं. 3088/3079 दर्ज होगा जबकि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के संपिरविर्तन आदेश व संलग्न नक्शे दिनांक 05.04.2003 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक ख.नं. 873 से संपरिवर्तित भूमि के लगवा है अर्थात दोनो के मध्य कोई अन्य भूमि या खसरा नहीं है। अतः साबित है कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रार्थी के ख.नं. 3079/872 रकबा 0.0743 है. में पूर्व से पश्चिम दिशा में की गई तरमीम सही है। तरमीम में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल या त्रुटी नहीं है। **अतः प्रार्थी का यह अनुतोष कि पटवारी हल्का रायपुर द्वारा वर्तमान ख.नं. 3087/3079 एवं 3088/3079 की तरमीम उत्तर से दक्षिण के बजाय गलत पूर्व से पश्चिम की ओर कर दी गई है – साबित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

9. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या **गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट**

या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को एवं भू सर्वे के बाद राजस्व मेप व फिल्ड बुक में या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, रिकार्ड आन लाईन करते समय सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम रायपुर के संपरविर्तित खसरा नम्बर 871/1 रकबा 0.0126 है. के सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम में की गई त्रुटी को धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। राजस्व नक्शे में हुई किसी प्रकार की त्रुटी को धारा 131 एलआरएक्ट में दुरूस्त करने का अधिकार सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी/लैण्ड रिकार्ड अधिकारी को है। भू.राजस्व अधिनियम 1956 में उपखण्ड अधिकारी को सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी की शत्यिां प्राप्त है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रायपुर के खसरा नम्बर 871, 871/1, 877/1, 3088/3079, 3087/3079 को राजस्व नक्शे में तरमीम में दुरूस्ती के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

9

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रायपुर के हाल खसरा नम्बर 871/1 रकबा 0.0126 है. के नक्शे में मुताबिक प्रमाणित नजरी नक्शा दिनांक 05.04.2003 एवं मद सं. 7 के मेप संख्या 01 के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करे। हाल खसरा नं. 3087/3079 की तरमीम यथावत रखी जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/12/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.17 12:52:21 IST
Reason: SelfAttested